प्रेषक,

डॉ रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 18 दिसम्बर, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्र सहायितत योजना (फेज-3) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, कौशाम्बी के निर्माण कार्य हेतु में पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या-1316/23-5-2020-22(सा)/2020टीसी, दिनांक 21.11.2020, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-3) के अंतर्गत स्वीकृत मेडिकल कालेज, कौशाम्बी के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 364.7652 करोड़ उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि मेडिकल कालेज, कौशाम्बी के निर्माण कार्य हेतु पूर्व में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 244.6069 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष शासनादेश संख्या-28/2020/400/71-3-2020-एन0एम0-23/2019, दिनांक 27.03.2020 द्वारा रू0 20.00 करोड़ की धनराशि केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की गयी है। कालान्तर में एन0एम0सी0, नई दिल्ली के नवीनतम गाइडलाइन्स में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा संशोधित आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। व्यय वित्त समिति की दिनांक 01-12-2020 को सम्पन्न बैठक में प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 364.7652 करोड़ के सापेक्ष रू0 303.6280 करोड़ कतिपय शर्तों के अधीन अनुमोदित की गयी।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत स्वीकृत **राजकीय मेडिकल कालेज, कौशाम्बी के निर्माण कार्य हेतु उच्च विशिष्टिय यथा- केन्द्रीय वाताकूलन (एच0वी0ए0सी0) को अनुमोदित करते हुए पुनरीक्षित लागत रू0 303.6280 करोड़ (रूपये तीन सौ तीन करोड़ बासठ लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-**

1. वित्त आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-19/2019-बी-2-615/दस-2019, दिनांक 13-12-2019 द्वारा रू0 50 करोड़ से अधिक लागत के भवनों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई0पी0सी0 मोड/बिल्डिंग की समस्त प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/कार्यदायी संस्था की होगी।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
6. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. निष्प्रोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. आगणन में सम्मिलित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26.08.2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाएगा।
12. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
13. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
14. महानिदेशक, चि0शि0/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पूर्व भूमि के निर्विवाद होने के सम्बन्ध में पुष्टि करा ली जायेगी।
15. प्रश्नगत प्रायोजना के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
16. प्रायोजना में प्रस्तावित मेडिकल उपकरण एवं फर्नीचर हेतु प्रस्तावित रू0 3000.00 लाख की धनराशि बिड़िग की लागत में सम्मिलित नहीं होगी। अतः उक्त को प्रायोजना की लागत में सम्मिलित नहीं किया जाए। उक्त कार्यमदों का आवश्यकतानुसार क्रय एवं स्थापना हेतु अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए तथा उक्त कार्यमदों हेतु पृथक पत्रावली के माध्यम से प्रस्ताव/आगण्न पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन कराकर सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन कराया जाए।
17. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
18. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
19. मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य एम0सी0आई0 मानक के अनुसार Letter of priority के आधार पर फेजवार किया जाए।
20. प्रश्नगत प्रायोजना में हास्पिटल के इलेक्ट्रिक लोड इंहेसमेंट लोड हेतु रू0 15.00 लाख का एकमुश्त प्राविधान किया गया है।
21. प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
22. प्रायोजना प्रस्ताव में किचेन इक्यूपमेंट, सब स्टेशन उपकरण, डी0जी0 सेट, एयरकंडीशनिंग सिस्टम, एस0टी0पी0, ई0टी0पी0, मेडिकल गैस पाइप लाइन, लिफ्ट, माडुलर ओ0टी0, माइनर ओ0टी0, सी0एस0एस0डी0 उपकरण, लॉड्री उपकरण आदि की लागत डी0एस0आर0/बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना संसुगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए।
23. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

24. प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराया जाय।
25. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0121-मेडिकल कालेज कौशाम्बी (के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1157/दस-2020, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:-80 /2020/1453(1)/71-3-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. नियोजन-अनुभाग-4
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।